संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 30)

[13 जुलाई, 2006]

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण निरसन अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

2. संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1980 के अधिनियम 14 का निरसन।

3. (1) इस अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियमिति के निरसन से ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसको निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, जिसमें वह सम्मिलित की गई है या जिसके प्रति वह निर्दिष्ट की गई है; व्यावृत्ति।

और इस अधिनियम का प्रभाव, पहले की गई या सहन की गई किसी बात अथवा पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके विषय में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से निर्मोचन या उन्मोचन अथवा पहले दिए गए किसी परित्राण या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणाम पर नहीं पड़ेगा;

इस अधिनियम का प्रभाव विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी कि वह इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से प्रतिज्ञान या मान्यता प्राप्त या व्युत्पन्न हुआ है, नहीं पड़ेगा;

इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) इस अधिनियम के निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 का 10 1897 की धारा 6 पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसके साधारण रूप से लागू होने को प्रभावित करने वाली अभिनिर्धारित नहीं की जाएगी।